न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 65 (GCMS:-2017/00379) **दायर दिनांक : 05.05.2017**

1. मु. शरीफा पत्नी स्व. सोहणे खां
2. नेकमोहम्मद पुत्र सोहणे खां
3. नेकमोहम्मद पुत्र स्व. सोहने खां
4. शेरमोहम्मद पुत्र स्व. सोहने खां
5. मु. लाली पुत्री स्व. सोहने खां
6. मु. नेका पुत्री स्व. सोहने खां

निवासीयान ग्राम ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. मम्मे खां पुत्र गुलाम खां जाति मुसलमान निवासी ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. श्री मान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.1955

उपस्थितः

1. श्री राकेश सारस्वत अभिभाषक प्रार्थीगण सं. 1 ता 5
2. श्री भगवानदत्त शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय **दिनांक : 09/10/2020**

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई, पक्षकारान के अभिभाषकगण उपस्थित है पत्रावली का अवलोकन किया, संक्षिप्त विचारण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया कि रोही ठुकराना तहसील सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 596/185 में 12.650 है. भूमि यानि 50.00 बीघा बारानी भूमि मुताबिक जमाबंदी 2069 ता 2072 खाता सं. 475/320 खातेदारी अंकित है प्रार्थीगण की उक्त ग्राम ठुकराना से ग्राम फरीदसर तक आवागमन हेतू स्वीकृत रास्ता के कारण दो भागों में बंट चुकी है। रास्ता के उत्तर की तरफ प्रार्थीगण की 8.00 बीघा भूमि रास्ता के चिपती हुई है व शेष 42.00 बीघा भूमि रास्ता के दक्षिण दिशा में रास्ता के चिपती हुई है जिसमें प्रार्थीगण ने अपने चाचा के सहयोग से पक्का पानी का कुण्ड बना रखा है जिस पर गत 40 वर्ष से प्रार्थीगण का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 मम्में खां प्रार्थीगण का चाचा लगता है जो उक्त 8.00 बीघा कुण्ड वाली खातेदारी भूमि पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है, इसलिये प्रार्थीगण ने अपनी भूमि की सुरक्षा हेतू अप्रार्थी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतू वाद प्रस्तुत कर रखा है। यदि अप्रार्थी सं. अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण का दावा बेसुध हो जावेगा व व्यर्थ की मुकदमेंबाजी बढ़ेगी तथा प्रार्थीगण का दावा बेसुध हो जायेगा व व्यर्थ की मुकदमेंबाजी बढ़ेगी, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है इस

क्रमशः पेज 2 पर.....

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:02:28 IST
Reason: SelfAttested

आधार पर विरूद्ध अप्रार्थी न. 1 स्थगन चाहा कि वे जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता सं. 475/320 के खसरा नम्बर 596/185 के 12.650 है. बारानी भूमि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप ना करें प्रार्थीगण को इकतरफा सुनकार दिनांक 05.05.2017 को आगामी तारीख तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध वर्णित खसरा में हस्तक्षेप ना करने हेतू स्थगन दिया गया व उनका तलब किया गया बाद तलबी अप्रार्थी न. 1 के अभिभाषक उपस्थित आये व जवाब प्रस्तुत किया जिसमें उन्होनें निवेदन किया कि अप्रार्थी न. 1 का रोही ठुकराना के खसरा नम्बर 594/185 की 8.602 है. बारानी भूमि खातेदारी भूमि पर कब्जा है और इसी भूमि पर कुण्ड भी बना हुआ है अप्रार्थी न. 1 प्रार्थीगण की भूमि पर कतई कब्जा नहीं करना चाहता।

पक्षकारान का जवाब आने पर तर्क सुने गये प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 रोही ठुकराना खाता सं. 475 वर्तमान 320 पुराना में खसरा नम्बर 596/185 के 12.650 है. बारानी भूमि प्रार्थीगण शरीफां वगै. के नाम खातेदारी दर्ज कागजात है। प्रार्थना पत्र के वर्णनानुसार अंकित काश्तकार है अंकित भूमि पर काबिज है ओर किसी सम्भावित अतिचारी के विरूद्ध सुरक्षा पाने का अधिकारी है अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि प्रार्थीगण उक्त भूमि का खातेदार कृषक ना हो दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थीगण के हक में है जिसे दस्तावेज के आधार पर ही झुठलाया जा सकता है ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. के विरोध में कोई शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस अवस्था में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को मानते हुए व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीगण का प्राथमिक रूप से मामला बनना बताते हुए सुविधा व संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्राथमिक रूप से मामला नहीं बनता, प्रार्थीगण ने अपने नाम अंकित खसरा नम्बर की भूमि का व कब्जा से सम्बंधित का कोइ नक्शा प्रस्तुत नहीं किया है इस अवस्था में प्रार्थीगण का प्राथमिक रूप से मामला नहीं बनने एवं भूमि पर बताये जाने वाले कुण्ड को स्वयं द्वारा बनाया बताते हुए व अप्रार्थी का कब्जा होना बताकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात पत्रावली का ध्यान पूर्वक तर्कों के परिपेक्ष्य में अवलोकन किया एवं पाया कि प्रार्थी वर्तमान में मुताबिक जमाबंदी ग्राम ठुकराना सम्वत् 2069 ता 72 खाता सं. 475/320 के खसरा नम्बर 596/185 की 12.650 है. भूमि का खातेदार कृषक स्पष्ट रूप से अंकित है एवं अप्रार्थी खाता सं. 330/570 के खसरा नम्बर 594/185 की 8.6020 है. भूमि के

क्रमशः पेज 3 पर.....

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:02:28 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार कृषक स्पष्ट रूप से अंकित है दोनों का खाता एवं खसरा नम्बर भिन्न भिन्न है अंकन से स्पष्ट है दोनों खसरा नम्बर का नक्शा भी भिन्न भिन्न होने की सोच दस्तावेजी रिकॉर्ड से सिद्ध होती है, अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ओर ना ही प्रार्थीगण के शपथ पत्र का प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है इसलिये प्रार्थीगण का प्राथमिक रूप से मामला बनना पाया जाता है, सुविधा व संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है जहॉ तक मौका की स्थिती का प्रश्न है कोई नक्शा प्रस्तुत नहीं हुआ है इसलिये किसी विशिष्ट भाग पर स्थगन नहीं दिया जा सकता किन्तु अंकित भूमि एवं कब्जा में पक्षकार वर्तमान स्थिति अनुसार बने रहे यह आवश्यक प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है व पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मौका व रिकॉर्ड की वर्तमान अंकन अनुसार ता फैसला वाद यथास्थिति बनाये रखें।

हुक्म सुनाया गया बाद तरतीब तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो, निर्णय आज दिनांक 09.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:02:28 IST
Reason: SelfAttested